न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 200/2019

आईसीआईसीआई बैंक लि0, रजिस्टर्ड कार्यालय–रेस कॉर्स सर्किल, वडोदरा 390007462, कोरपोरेट कार्यालय– आईसीआईसीआई बैंक टॉवर बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई 400051, शाखा कार्यालयः 2 सी मधुबनी, मधुबन, उदयपुर –313001

..........**प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

(1) (अ) श्री पुष्पेन्दर सिंह राठौड पुत्र श्री रंजीत सिंह राठौड
निवासीः– बैरवा बस्ती, पुष्कर रोड, कोटडा, जिला अजमेर (राज.)

(ब) श्री पुष्पेन्दर सिंह राठौड पिता श्री रंजीत सिंह राठौड
निवासीः–442–ए, बैरवा बस्ती, पुष्कर रोड, कोटडा, जिला अजमेर (राज.)

(2) श्रीमती मधु कंवर पत्नि श्री रंजीत सिंह राठौड,
निवासीः– बैरवा बस्ती, पुष्कर रोड, कोटडा, जिला अजमेर (राज.)

....................**अप्रार्थीगण/ऋणी**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अवतार सिंह उप्पल – अभिभाषक प्रार्थी

दिनांक 19.11.2019

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 02 को दिनांक 16.11.2017 को रू. 10,00,000/– (अक्षरे दस लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर बैरवा बस्ती, पुष्कर रोड, कोटडा, जिला–अजमेर स्थित आवासीय सम्पति (भूमि व भवन) क्षैत्रफल 132.55 वर्ग गज, जो श्री पुष्पेन्दर सिंह राठौड पुत्र श्री रंजीत सिंह राठौड एवं श्रीमती मधु कंवर पत्नी श्री रंजीत सिंह राठौड के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैः–उत्तर मेंः–गली, दक्षिण मेंः–सम्पति श्री सत्यनारायण जी की, पूर्व मेंः– सम्पति श्री रतन जी की, पश्चिम मेंः–प्लॉट श्री रमेश ठेकेदार का है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 04.01.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 26.04.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये– 10,67,216/– (अक्षरे दस लाख सडसठ हजार दो सौ सोलह रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति बैरवा बस्ती, पुष्कर रोड, कोटडा, जिला–अजमेर स्थित आवासीय सम्पति (भूमि व भवन) क्षेत्रफल 132.55 वर्ग गज, जो श्री पुष्पेन्दर सिंह राठौड पुत्र श्री रंजीत सिंह राठौड एवं श्रीमती मधु कंवर पत्नी श्री रंजीत सिंह राठौड के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैः–उत्तर मेंः–गली, दक्षिण मेंः–सम्पति श्री सत्यनारायण जी की, पूर्व मेंः– सम्पति श्री रतन जी की, पश्चिम मेंः–प्लॉट श्री रमेश ठेकेदार का है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 19.11.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner